भारत सरकार

विद्युत मंत्रालय

....

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या-3079

दिनांक 06 अगस्त, 2026 को उत्तरार्थ

सोनीपत में ओवरलोडेड ट्रांसफॉर्मर

3079. श्री सतपाल ब्रह्मचारी:

श्री जय प्रकाश:

क्या **विद्युत** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या सोनीपत और हिसार लोक सभा निर्वाचन क्षेत्रों के कई गांवों और शहरी कॉलोनियों में ओवरलोडेड ट्रांसफॉर्मरों, जर्जर बिजली लाइनों और भार क्षमता पर अतिरिक्त दबाव के कारण लगातार ट्रांसफॉर्मर खराब होने, बिजली कटौती की समस्या और दुर्घटनाओं का जोखिम बना हुआ है;

(ख) यदि हां, तो विगत तीन वर्षों के दौरान उक्त निर्वाचन क्षेत्रों में ऐसे ट्रांसफॉर्मरों और जर्जर बिजली लाइनों के प्रतिस्थापन और क्षमता वृद्धि के लिए स्वीकृत परियोजनाओं और आवंटित निधि का ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार किसानों को निर्धारित समय-सीमा के भीतर सिंचाई के लिए निर्बाध बिजली आपूर्ति सुनिश्चित करने के लिए अलग कृषि फीडरों के विस्तार, स्मार्ट वितरण प्रणालियों के आधुनिकीकरण और कार्यान्वयन के संबंध में कार्य करने के लिए कोई विशेष योजना लागू कर रही है;

(घ) यदि हां, तो सोनीपत लोक सभा निर्वाचन क्षेत्र में प्रस्तावित कार्यों, उनकी समय-सीमा और उनसे होने वाले संभावित लाभों का ब्यौरा क्या है; और

(ङ) हिसार लोक सभा निर्वाचन क्षेत्र में प्रस्तावित कृषि फीडरों, कार्यों की वर्तमान प्रगति और उनके पूरा होने की संभावित समय-सीमा का ब्यौरा क्या है?

उत्तर

विद्युत राज्य मंत्री
(श्री श्रीपाद नाईक)

(क) : विद्युत एक समवर्ती विषय है और विद्युत वितरण का कार्य वितरण यूटिलिटी द्वारा किया जाता है जो संबंधित राज्य विद्युत विनियामक आयोगों (एसईआरसी) और राज्य सरकारों के मार्गदर्शन में कार्य करती हैं। विद्युत अधिनियम, 2003 के अनुसार, विद्युत वितरण एक लाइसेंसी गतिविधि है और संबंधित वितरण लाइसेंसधारी का यह कर्तव्य है कि वह अपने आपूर्ति क्षेत्र में एक

दक्ष और सुरक्षित वितरण प्रणाली विकसित करे और उसका रखरखाव करे। अतः, ट्रांसफार्मर और वितरण लाइन सहित गुणवत्तापूर्ण विद्युत आपूर्ति सुनिश्चित करने हेतु वितरण प्रणाली के उन्नयन और रखरखाव के लिए आवश्यक उपाय करने की जिम्मेदारी संबंधित वितरण यूटिलिटी की है।

हरियाणा की वितरण यूटिलिटी द्वारा दी गई जानकारी के अनुसार, पिछले तीन वर्षों के दौरान ओवरलोडेड डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर (डीटीआर), चिह्नित जर्जर/ओवरलोडेड विद्युत लाइन, ट्रांसफार्मर खराब होने के मामलों, ऐसी खराबी के प्रमुख कारणों तथा हिसार और सोनीपत लोकसभा निर्वाचन क्षेत्रों के संबंध में की गई कार्रवाई का विवरण **अनुबंध-I** पर दिया गया है।

(ख) से (ङ) : भारत सरकार ने वित्तीय रूप से स्थिर और प्रचालनात्मक रूप से दक्ष वितरण क्षेत्र के माध्यम से उपभोक्ताओं को विद्युत आपूर्ति की गुणवत्ता और विश्वसनीयता में सुधार के उद्देश्य से 2021 में संशोधित वितरण क्षेत्र स्कीम (आरडीएसएस) शुरू की थी। आरडीएसएस के अंतर्गत हानि न्यूनीकरण अवसंरचना कार्यों के लिए 1.53 लाख करोड़ रू. तथा स्मार्ट मीटरिंग कार्यों के लिए 1.31 लाख करोड़ रू. की परियोजनाएँ स्वीकृत की गई हैं। आरडीएसएस के तहत स्वीकृत हानि न्यूनीकरण और स्मार्ट वितरण कार्यों में निम्नलिखित शामिल हैं:

i. गैस इंसुलेटेड स्विचगियर (जीआईएस) सबस्टेशनों सहित नए सबस्टेशनों के निर्माण/उन्नयन के लिए कार्य।
ii. नए वितरण ट्रांसफार्मर (डीटी) की संस्थापना और मौजूदा डीटी का संवर्धन
iii. पुराने कंडक्टरों का प्रतिस्थापन
iv. एचटी/एलटी लाइनों का भूमिगतिकरण
v. पर्यवेक्षी नियंत्रण और डेटा अधिग्रहण (स्काडा) कार्य
vi. 19.79 करोड़ उपभोक्ताओं को कवर करने वाले स्मार्ट मीटरिंग कार्यों और 2.11 लाख फीडरों और 52.53 लाख डीटीएस के लिए स्मार्ट सिस्टम मीटरिंग कार्यों को मंजूरी दी गई है। अब तक, आरडीएसएस के तहत 5.83 करोड़ स्मार्ट मीटर लगाए जा चुके हैं, और कुल मिलाकर, देश भर में विभिन्न स्कीमों के तहत 7.34 करोड़ स्मार्ट मीटर लगाए जा चुके हैं।

उपर्युक्त संस्वीकृति में हरियाणा राज्य के लिए आरडीएसएस के अंतर्गत 6,693.15 करोड़ रुपये की लागत से हानि न्यूनीकरण अवसंरचना के कार्य शामिल हैं। इसके अलावा, राज्य द्वारा दी गई जानकारी के अनुसार, वर्ष 2021 से सभी कृषि फीडरों का पृथक्करण किया जा चुका है। गुरुग्राम, पंचकुला, करनाल, पानीपत और फरीदाबाद जिलों में 8.74 लाख उपभोक्ताओं के लिए राज्य द्वारा अपनी स्कीम के तहत स्मार्ट मीटरिंग कार्य किए गए हैं।

हिसार और सोनीपत लोकसभा क्षेत्रों में आरडीएसएस के तहत किए गए कार्यों का विवरण **अनुबंध-II** पर दिया गया है। संस्वीकृत कार्य, योजना अवधि अर्थात् मार्च 2028 तक पूरे होने की उम्मीद है। कार्य पूरे होने पर विद्युत आपूर्ति की गुणवत्ता में सुधार होगा और उपभोक्ता सेवाओं में वृद्धि होगी।

लो.स.अतारां.प्र.सं. 3079

अनुबंध-I

निर्वाचन क्षेत्र और विवरण	की गई कार्रवाई
हिसार (डीएचबीवीएनएल) ओवरलोडेड डीटीआर की संख्या: 1099 चिह्नित जर्जर/ओवरलोडेड लाइनों की संख्या: 78 टी/एफ में खराबी के मामलों की संख्या (पिछले 3 वर्षों में): 16976 मुख्य कारण: आंतरिक खराबी/ओवरलोडिंग और भयानक तूफान।	ट्रांसफार्मरों पर ओवरलोडिंग की समस्या को दूर करने के लिए 406 ट्रांसफार्मरों के संवर्धन सहित 346 अतिरिक्त ट्रांसफार्मर उपलब्ध कराए गए (डीएचबीवीएन विभाग द्वारा कार्यान्वित) कुल 16 फीडरों को विभाजित किया जाना है, जिनमें से 9 फीडरों का कार्य पूरा हो चुका है और 7 फीडरों पर आरडीएसएस के तहत कार्य प्रगति पर है। इसके अलावा, 68 फीडरों का उन्नयन विभागीय स्तर पर किया जा चुका है।
सोनीपत (डीएचबीवीएनएल और यूएचबीवीएनएल) ओवरलोडेड डीटीआर की संख्या: 1776 चिह्नित जर्जर/ओवरलोडेड लाइनों की संख्या: 111 टी/एफ में खराबी के मामलों की संख्या (पिछले 3 वर्षों में): 6372 मुख्य कारण: आंतरिक खराबी/ओवरलोडिंग और भयानक तूफान।	ट्रांसफार्मरों पर ओवरलोडिंग की समस्या को दूर करने के लिए 1080 ट्रांसफार्मरों के संवर्धन सहित 250 अतिरिक्त ट्रांसफार्मर उपलब्ध कराए गए। शेष कार्यों को चरणबद्ध तरीके से पूरा किया जा रहा है। 90 ओवरलोडेड फीडरों का विभाजन पूरा हो चुका है; 40 फीडरों का विभाजन वर्तमान में आरडीएसएस के तहत प्रगति पर है, जबकि 18 फीडरों का विभाजन विभागीय स्तर पर किया जाएगा।

लो.स.अतारां.प्र.सं. 3079

अनुबंध-।।

हिसार निर्वाचन क्षेत्र में आरडीएसएसएस के तहत संस्वीकृत कार्य

वित्तीय प्रगति

(राशि करोड़ रुपये में)

संस्वीकृत परियोजना लागत	**145.73**
भारत सरकार द्वारा स्वीकृत अनुदान	87.48
भारत सरकार द्वारा जारी अनुदान	23.27

वास्तविक प्रगति

कुल वास्तविक प्रगति: 40%

प्रमुख शीर्ष	**स्वीकृत परियोजना लागत (करोड़ रुपये में)**	**विवरण**	**यूओएम**	**संस्वीकृत**	**अवार्ड किए गए**	**पूर्ण**
फीडर विभाजन	25.63	एचटी लाइनें	सीकेएम	382.81	312.81	58.65
		एलटी लाइनें	सीकेएम			
		डीटीएस	संख्या			
केबलिंग कार्य (एबी + यूजी)	16.74	एचटी केबल	सीकेएम	-	-	-
		एलटी केबल	सीकेएम	183.92	183.83	121.58
लाइनों का संवर्द्धन/रिकंडक्टरिंग	29.26	एचटी लाइनें	सीकेएम	607.25	577.26	312.34
	12.20	एलटी लाइनें	सीकेएम	227.62	227	126.81
उपस्टेशन	61.49	नया सबस्टेशन	संख्या	3	3	0
		सबस्टेशन का संवर्धन	संख्या	8	8	6
		अतिरिक्त पावर एक्स-मर	संख्या	14	14	6
सबस्टेशन पर वीसीबी	0.42	सबस्टेशन पर वीसीबी	संख्या	8	8	0
कुल	**145.73**					

लो.स.अतारां.प्र.सं. 3079

अनुबंध-III

सोनीपत निर्वाचन क्षेत्र में आरडीएसएसएस के तहत संस्वीकृत कार्य

वित्तीय प्रगति

(राशि करोड़ रुपये में)

	डीएचबीवीएनएल (सोनीपत निर्वाचन क्षेत्र में जींद क्षेत्र का कुछ हिस्सा)	**यूएचबीवीएनएल (सोनीपत निर्वाचन क्षेत्र में शेष क्षेत्र)**	**कुल**
स्वीकृत परियोजना लागत	66.09	140.93	207.02
भारत सरकार द्वारा स्वीकृत अनुदान	39.65	84.56	124.21
भारत सरकार द्वारा जारी अनुदान	10.55	44.74	55.29

वास्तविक प्रगति (कुल वास्तविक प्रगति: 81.51%)

प्रमुख शीर्ष	**स्वीकृत परियोजना लागत (करोड़ रुपये में)**	**विवरण**	**यूओएम**	**संस्वीकृत**	**अवार्ड किए गए**	**पूर्ण**
फीडर विभाजन	56.51	एचटी लाइनें	सीकेएम	481.73	481.72	288.48
		वीसीबी	संख्या	61	127	60
		डीटीएस	संख्या			
केबलिंग कार्य (एबी + यूजी)	38.43	एलटी केबल	सीकेएम	437.82	437.82	313.14
नई लाइनें/केबल	8.65	एचटी लाइनें	सीकेएम	62.30	97.20	62.30
		एलटी लाइनें	सीकेएम			
लाइनों/केबलों का संवर्धन/रिकंडक्टरिंग	28.99	एचटी लाइनें	सीकेएम	492.36	570.22	479.25
	39	एलटी लाइनें	सीकेएम	1084.84	1088.88	447.82
	11.70	डीटीएस का संवर्धन	संख्या	240	240	240
उपस्टेशन	30.56	नया सबस्टेशन	संख्या	5	5	5
कुल	207.02					
